

आमन्दा दिनांक २५-४-२२ को पेश हो।

२९^४/_{२२}

पत्रावली पेश हुई वकील वाकी व प्रतिवादी
के नोटिस लम्बिल करवाने हेतु बार-बार
अवसर दिये जाने के उपरान्त भी नोटिस
लम्बिल नहीं करवाने पर पत्रावली आदेश
अनुसूचि ५ CPC के तहत खारिज की जाती है
पत्रावली का काम शुमार होकर



ख
म

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर से काम की जाकर कारवी/न
फक्टर ही)



उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा